तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./1334/2003/नागौर अहमदहुसैन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>
<u>खण्डपीठ</u>
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित –
श्री ओंकार लाल दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्रीमती अर्चना गौतम, उपराजकीय अधिवक्ता प्रत्यथी

–निर्णय–

दिनांकः– 05–05–2026

1– अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 103/1999 बउनवानी अहमदहुसैन बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नागौर के हाल खसरा नम्बर 451 के उत्तरी भाग में निहित 25 बीघा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात् कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत जाकर वादपत्र को खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किये जाने के उपरान्त विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त संवत् 2010 से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का मुश्तहक रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा एवं आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./1334/2003/नागौर अहमदहुसैन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर किसी प्रकार का अवलोकन किये बिना वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार बनाते हुए अपीलार्थी का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों/मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के विपरित जाकर खारिज किया गया है। 5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा संवत् 2010 से पूर्व से ही निरन्तर चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि के बाबत् नियमन की कार्यवाही भी जिला कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन रहा है। जिससे भी यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत की यह व्याख्या कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहा है, विधि विरूद्ध की गई व्याख्या है। अपीलार्थी/वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ अपने कथनों/कब्जे काश्त के समर्थन में राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई थी जिससे कब्जा काश्त होना ताईद होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा तो स्वीकार किया है परन्तु उक्त कब्जा किस हैसियत से दर्ज है, इस संबंध में कब्जा बतौर अतिक्रमी की हैसियत से होना बतलाया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने पर उक्त दिनांक को जो काश्तकार आराजीयात् पर काबिज रहा है उसे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार घोषित किये जाने के प्रावधान निहित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी के वादपत्र को खारिज करने में कानून त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को इस आधार पर भी खारिज किया गया है कि आराजी जैर का स्वरूप गैर मुमकिन अंगोर है। जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई तलाब स्थित नहीं है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या भी प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है। प्रकरण में वादगत् भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसे घोषित करवाने हेतु घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है तथा जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है एवं ऐसे घोषणात्मक वाद के लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलार्थी/वादी वादगत् भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलार्थी को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। 6– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि कभी भी अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलार्थी का कभी कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./1334/2003/नागौर अहमदहुसैन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

के लागू होने की दिनांक से निरन्तर रहा है। दोनो अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि बतौर अतिक्रमी मानते हुए एवं वादग्रस्त भूमि मौके पर गैर मुमकिन अंगोर होने के आधार पर विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की गई है। लिहाजा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

7– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम नागौर के हाल खसरा नम्बर 451 के उत्तरी भाग में निहित 25 बीघा भूमि के संबंध में दावा घोषणात्मक प्राप्त करने चिर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किये जाने व उक्त खारिजी आदेश की प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा उक्त द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि उक्त भूमि संवत् 2010 के पूर्व से अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसकी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में वादी/अपीलार्थी के वादपत्र का मुख्य आधार वादग्रस्त पर संवत् 2010 से निरन्तर कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग का रहते हुए उक्त भूमि कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष रहा है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर वाद को प्रमाणित करने का भार स्वयं वादी पर था। प्रकरण में वादी/अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में स्वयं कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त संवत् 2010 से पूर्व से रहा है, परन्तु वादी/अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण यथा जमाबन्दी आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह जाहिर हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभावशील होने से पूर्व रहा हो। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी/वादी का यह कथन कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक से ही बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये है, परन्तु इस संबंध में अपीलार्थी/वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक अर्थात 15–10–1955/संवत् 2012 की जमाबन्दी अथवा अन्य राजस्व अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी.ए./1334/2003/नागौर अहमदहुसैन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

गया है जिससे कि उक्त तथ्य को किसी प्रकार का कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर वादगत् भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते। विधि का यह सर्वविदित सिद्धान्त है कि ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं किये जा सकते। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन अंगोर रहा है। ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों/विधि की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किये जाने की अभिशंषा के आधार पर वादपत्र विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है व जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। इस प्रकार दोनों समवर्ति न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाये जाने से अपीलांट् की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

9– परिणामतः अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है व प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 103/1999 बउनवानी अहमदहुसैन बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–12–2002 एवं विचारण न्याायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा वाद संख्या 169/89 बउनवानी अहमदहुसैन बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–1999 की पुष्टि की जाती है।

10– निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभय पक्षों को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य